अपील सूचना अधिकार संख्या 69/2020 (RCMS 2020/00116) श्री विजय कुमार चद्ढा पुत्र श्री किशन लाल निवासी वार्ड नं. 13, नजदीक पुलिस थाना, श्रीविजयानगर (मोबाईल नं. 94145–03671) बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.11.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विजय कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 28.05.2020 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी विजय कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.05.2020 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

> **श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के पत्र संख्या 15807 दिनांक 10.11.14 के तहत की गई जांच व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।**

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयानगर ने अपने पत्रांक रीडर/स्थापन/2020/5416 दिनांक 08.09.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके सूचना के अधिकार प्रार्थना पत्र दिनांक 28.05.2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 01.06.2020 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना की प्रमाणित प्रति संलग्न, भिजवाई जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

अपीलार्थी ने अपने पत्र दिनांक 29.05.2020 में जो सूचना चाही है, उसका उसने अलग से पूर्ण विवरण स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। **चूंकि अपीलार्थी द्वारा** चाही गई सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर द्वारा आवेदक को उपलब्ध करवाई जा चुका है, इसलिए इस अपील में आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर